Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम .रायसिंहनगर

मनोहर सिहं आदि बनाम रणजीत सिहं आदि

मुकदमा 53–92ए–88–209 आरटीएक्ट नम्बर 97 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/240

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
6.2025	वादी मनोहर सिहं पुत्र श्री श्रवण सिहं जाति कम्बोज साकिन 6 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर वगैरा की ओर से श्री रणवीर सिहं बिश्नोई अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	7/7 2/8/25
	22/7/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 20/8/25 को पेश हो। 20/8/25 पत्रावली पेशी श्री गई। अधिवक्ता [illegible] हाजिर। प्रति सं. 1 से 2 सम्मन हाजिर आम [illegible] शपथ पत्र पेश किया। [illegible] हेतु दिनांक 22/8/25 को पेश हो। 22/8/25 पत्रावली पेश श्री गई। अधिवक्ता वादी वाद पत्र शीघ्र चलाना नहीं चाहता होकर वाद पत्र की बजाय रिट पत्र दायर किया जाता है पत्रावली खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
Date: 2025.08.27 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर